संख्या-336/2015/3960जेएल/22-3-15-800(203)/2013

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
आजमगढ़।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2015***

विषय- केन्द्रीय कारागार**,** वाराणसी के बंदी इम्तियाज पुत्र श्री इद्रीश, निवासी-ग्राम-हिरनई गुल्लीगढ़, थाना-रौनापार, जनपद-आजमगढ़ को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार**,** वाराणसी के बंदी इम्तियाज पुत्र श्री इद्रीश, निवासी-ग्राम-हिरनई गुल्लीगढ़, थाना-रौनापार, जनपद-आजमगढ़ को शासनादेश संख्या-284/2015/2573जेएल/22-3-15-800(203)/2013, दिनांक 04-11-2015 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-336/2015/3960जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार**,** वाराणसी।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in